

03/8/22

दा. 1/2

प्रार्थी द्वारा एक सार्थना पत्र पेश करने पर
डॉ. जे. ए. ए. पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी
एवं वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि
पञ्चकारण का आदेश में सही नामा होना

के

प्रार्थी को
क्या है
बुद्धि चाहिए

वकील/रा. ल.
अदालत
फ्री

के कारण इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही
नहीं करना चाहते हैं। इसीविषय इस प्रकरण
को नोटब्लेस के अधीन पर खारिज किया
जावे। अपनोमक किया गया। प्रार्थना का
निकटन स्वीकार करते हुए यह सार्थक/काद
पत्र नोटब्लेस के अधीन पर इसी स्तर पर
रखरिज किया जाता है। पत्रावली का दस्तावेज
तकनीक होकर हाथिन दफ्तल हो।

(अभिजाय)

अण्ड अधिकारी
घडसाना